

परिशिष्ट - 15

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्र गीदवारों द्वारा
अपने दावे के पक्ष में प्रस्तुत किये जानेवाला जाति प्रमाण-पत्र
अनुच्छेद 24 (11)

जाति प्रमाण-पत्र

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच-प्रतिवेदन के आधार पर
प्रमाण-पत्र संख्या : VSL/HAJ/2011/CST/12524

दिनांक 20-Oct-2011



यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सौरभ सिंघाल, पिता सोगारथ
सोमराय, ग्राम बडी युसुफपुर, पोस्ट हाजीपुर, थाना औधोगिक क्षेत्र हाजीपुर, अनुमण्डल हाजीपुर, जिला
वैशाली, राज्य बिहार, अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत दुसाध समुदाय के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जाति
अनुसूचित जन जाति सूचि(संशोधित) आदेश, 1956 के अन्तर्गत तक अनुसूचित जाति मानी जा चुकी

श्री सौरभ सिंघाल और/या इनका परिवार साधारणतः ग्राम बडी युसुफपुर, राज्य
बिहार/राज्य क्षेत्र बिहार के जिला वैशाली में निवास करते हैं।



अंचलधिकारी

नोट : यहाँ प्रयोग किये गये साधारणतः नियमों का अर्थ वही होगा जो की रिप्रजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट
1950 के धारा 20 में है।